

कार्यालय, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पत्रांक:- 1223/मु0वि0प्रा0/अधि0/2023-24

दिनांक :- 05/07/2023

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता/प्रमारी मुख्य अभियन्ता/प्रमारी सम्पत्ति,  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण की एकता विहार दक्षिणी व ट्रांसपोर्ट नगर के तलपट मानचित्र के आंशिक भाग में किये गये संशोधित नियोजन को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। संशोधित/अनुमोदित पार्ट तलपट मानचित्र की एक-एक प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

नगर नियोजक

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय, मु0वि0प्रा0 को सादर अवलोकनार्थ।

नगर नियोजक

**A- PROPOSED PLOTS AREA DETAILS**

AREA UNDER PLANNING= 16258.52 SQM  
 AREA UNDER ROAD= 3761.67 SQM  
 AREA UNDER PARK = 1826.09 SQM  
 AREA UNDER PLOT= 10670.76 SQM

**PLOT DETAILS**

7.50X15.0=112.50SQM (17-37) - 21 PLOTS  
 5.0X12.0=60.00SQM (38-123) - 86 PLOTS  
 4.0X10.0=40.00SQM (124-191) - 69 PLOTS  
**TOTAL PLOTS =175**


**B- EXISTING HOUSES/PLOT AREA DETAILS**

TOTAL 4TH/S HOUSE NO-208

AREA UNDER SAMAJWADI & EXISTING ROAD =9866.68 SQM

**PART LAYOUT PLAN OF EKTA VIHAR SOUTH YOJNA  
 RAMPUR ROAD MORADABAD**

TOTAL PLAN AREA(A+B)=30928.51 SQM



13  
 VICE CHAIRMAN

SECRETARY

SDM

TOWN PLANNER

J.E.

J.E.

13/11/2013

Welcome : Moradabad Development Authority

## Project Registration

Promoter Details | Basic Details | Plan Details | Other Details | Development Works | Project Bank Details | Land Details | Upload Documents | Enter Quarterly Targets | View Filled Targets | Make Payment

## Basic Details

Date OF  
Registration

04/09/2023

Project Type \*

 New Ongoing

Project Category \*

Residential

Total area in round figure (Sq.mt.)\*

26126

Project Name\* (Advertised name of the project can be mentioned here.)

AMRITKUNJ (EKTA VIHAR (SOUTH) SCHEME

Registration Fee (in Rs.)\*

State\*

Uttar Pradesh

District \*

Moradabad

Tehsil \*

Moradabad

Sanctioning Competent Authority\*

Moradabad Development Authority

Project Cost in round figures (in Lacs) \*

3462

## Geographic Location : (end points of scheme/ project)

Do you have exact coordinates ?

 Yes  No

Latitude \*

28.835775

Longitude \*

78.825079

Search Agent

Enter Agent Name...

Search Promoter

Enter Promoter Name...

Select Agent From List \*

- Not Applicable
- VIVEK SHARMA (UPRERAAGT16166)
- 360 DEGREE VENTURES PRIVATE LIMITED (UPRERAAGT18728)
- 360 PROP GUIDE LLP (UPRERAAGT20190)
- 360 REALTORS LLP (UPRERAAGT10868)
- 999 TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED (UPRERAAGT24832)
- 9BUY9 CONSULTANTS LLP (UPRERAAGT21783)

Select Multiple Promoters

- Mr. Ajay Singhal Promoter Id:UPRERAPRM13355
- Mr. Anuj Kumar Gupta Promoter Id:UPRERAPRM118084
- Mr. Bharat Mehrotra Promoter Id:UPRERAPRM251344
- Mr. Devendra Sharma Promoter Id:UPRERAPRM50590
- Mr. Manoj Kumar Shukla Promoter Id:UPRERAPRM113183
- Mr. Nitesh Mehrotra Promoter Id:UPRERAPRM251088
- Mr. Rajnikant Mishra Promoter Id:UPRERAPRM113181
- Mr. Sanjay Singhal Promoter Id:UPRERAPRM13096
- Mr. Sanjay Singhal Promoter Id:UPRERAPRM13442

ग्राम भैसिया

39/1  
72.07

एपा-560

रजिस्ट्रं नं० ए० डी०-4

नाशनेस सं० इधल्यु० पी०-4

(नाशनेस रू पोस्ट विदाउट प्रीवेरीन्ट)



5/17

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनिपत प्रादेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 17, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-2

संख्या 2843/37-2--82-24एल-ए-82

लखनऊ, 8 सितम्बर, 1982

### प्रधिसूचना

प० पा०-381

भूमि धर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वे आधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद की जनता के लिए ग्राम-भैसिया, तहसील और जिला-मुरादाबाद में गृह निर्माण योजना के लिए आवश्यकता है,

2--चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जो कृष्य और बंजर और गृह्य से भिन्न भूमि है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद की जनता के लिए ग्राम-भैसिया, तहसील और जिला-मुरादाबाद में गृह निर्माण योजना के लिए आवश्यक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवक्षित किया जाय

अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

## अनुसूची

जिला	परगना	भाग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5
गुरादावाड़	गुरादावाड़	भैंसिया	27	3.25
			28	1.16
			30	0.57
			31	1.75
			32	1.36
			33	1.09
			34	1.04
			36	0.81
			37	2.64
			38-एग	3.38
			39	1.88
			41	1.06
			42	1.22
			43	1.77
			45	3.91
			46	0.14
			316	0.96
			317	4.98
			318	1.97
			320	1.89
			322	1.60
			323	1.13
			340	0.99
			341	1.71
			342	1.36
			344	2.31
			346	0.93
			347	2.52
			348	0.92
			349	2.57
			350	0.85
			351	1.32
			352	0.52
			355	2.18
			356	0.56
			357	4.51

29 390

उत्तर प्रदेश समाचार पत्र, 8 सितंबर, 1982

3

	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	भैसिया	361	1.04
--(समाप्त)	--(समाप्त)	--(समाप्त)	362	0.52
			363	1.91
			370	2.08
			372	1.38
			373	3.12
			319	0.02
		योग	43	72.81

भूमि प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है -- मुनियोजित विकास योजना के अधीन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त भैसिया, सहलीन घोर जिला मुरादाबाद में गृह निर्माण योजना के लिए।

टिप्पणी:-- भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

साक्षात्,  
ए० के० रस्तोगी,  
तत्पि।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2843/XXXVII-2-82-24-L.A.-82, dated September 8, 1982, for general information:

No. 2843/XXXVII-2-82-24-L.A.-82

Dated Lucknow, September 8, 1982

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in Schedule below, is needed for a public purpose namely, for Housing Scheme at Village Bhainsia Tehsil and District Moradabad for the people of Moradabad by the Moradabad Development Authority, Moradabad, under a Planned Development Scheme.

2. Being of the opinion that the provisions of sub-sections (1) and (1-A) of section 17 of the said Act are applicable to the said land is as much as the said land, which is arable and other than waste and arable land is urgently required for Housing Scheme at Village Bainsia Tehsil and District Moradabad for the people of Moradabad by the Moradabad Development Authority Moradabad and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

Schedule

District	Pargana	Village	Plot no.	Area in Acres
1	2	3	4	5
Moradabad	Moradabad	Bhainsia	27	3.25
			28	1.16
			30	0.57
			31	1.75
			32	1.36
			33	1.09
			34	1.04
			36	0.81
			37	2.64
			38-M	3.38
			39	1.88
41	1.01			

1.73

उत्तर प्रदेश अधिवास गण्ड, 8 सितम्बर, 1982

1	2	3	4	5
Moradabad —(Concl.)	Moradabad —(Concl.)	Dhoinia —(Concl.)	42	1.22
			43	1.77
			45	3.91
			46	0.14
			316	0.96
			317	4.98
			318	1.97
			320	1.89
			322	1.60
			323	1.13
			340	0.99
			341	1.71
			342	1.36
			344	2.31
			346	0.93
			347	2.52
			348	0.92
			349	2.57
			350	0.85
			351	1.02
			352	0.52
			355	2.18
			356	0.56
			357	4.51
			361	1.04
			362	0.52
			363	1.91
			370	2.03
			372	1.38
			373	3.12
			319	0.02
		Total	43	72.81

For what purpose the land is required :- For Housing Scheme of Village Dhoinia Tehsil and District Moradabad, by the Moradabad Development Authority under a Planned Development Scheme.

NOTE : A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Moradabad.

By order,  
A. K. RASTOGI,  
Sachiv.

पो० एस० यू० पी०—ए० पी० 508 राजपत्र (हि०)—10-9-82—(1815)—1982—2102 (मे००)



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत प्रदेश)

सबनरु, शनिवार, 18 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 27, 1904 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

भावास अनुभाग-2

संख्या-4412/37-2-82-24 एल ए-82

सबनरु, [16 सितम्बर, 1982

भूमिसूचना

प० प्रा०-386

भूमि अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी भूमिसूचना संख्या-2843/37-2-82-24 एल ए-82, दिनांक 8 सितम्बर, 1982 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी भूमिसूची में उल्लिखित भूमि की शीर्ष प्रयोजन, सर्वोत्तम सुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम भूमि, तहसील और जिला मुरादाबाद में गृह निर्माण योजना के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुरादाबाद के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

2-चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला प्रात्यक्षिक (आर्जेन्ट) है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि, यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई

अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, मुरादाबाद के कलेक्टर, उक्त लोक प्रयोजन के लिए अनुसूची में उल्लिखित भूमि, और बंजर और कृष्य से निम्न भूमि है, कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से प्रारंभ के अवसान पर कर सकते हैं:

अनुसूची

जिला	परगना	मोजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
मुरादाबाद	मुरादाबाद	भंसिया	27	3.25
			28	1.16
			30	0.57
			31	1.73
			32	1.36
			33	1.09
			34	1.04
			36	0.81
			37	2.64
			38 एम	3.38
			39	1.88
			41	1.01
			42	1.22
			43	1.77
			45	3.91
			46	0.14
			316	0.96
			317	4.98
			318	1.97
			320	1.89
			322	1.60
			323	1.13
			340	0.99
			341	1.71
			342	1.36
			344	2.31
			346	0.93
			347	2.52
			348	0.92
			349	2.57
			350	0.85
			351	1.32
			352	0.52
			355	2.18
			356	0.56
			357	4.51
			361	1.04
			362	0.52
			363	1.91
			470	2.08
			372	1.38

1	2	3	4	5
मुरादाबाद--(समाप्त)	मुरादाबाद--(समाप्त)	भैंसिया	373 319	3.12 0.02
योग ..			43	72.81

किस प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सुनियोजित विकास योजना के अधीन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम भैंसिया, तहसील मोर जिला मुरादाबाद में गृह निर्माण योजना के लिये।  
टिप्पणी:—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर मुरादाबाद/भूमि प्रजनन अधिकारी, मुरादाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्राज्ञा से,  
ए० के० रस्तोगी,  
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4412/XXXVII-2-82-24LA-82, dated September 16, 1982, for general information.

No. 4412/XXXVII-2-82-24 LA-82  
Dated Lucknow, September 16, 1982

In continuation of Government notification no. 2843/XXXVII-2-82-24LA-82, dated September 8, 1982, issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for Housing Scheme of Village Bhainsia Tahsil and District Moradabad under a Planned Development Scheme and under section 7 of the said Act, to direct the Collector of Moradabad to take order for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-sections (1) and (1-A) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Moradabad though no award under section 11 has been made, may on the expiration of fifteen days from the publication of notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land which is arable as well as other than waste and arable land mentioned in the Schedule for the said public purpose :

Schedule

District	Pargana	Mauza	Plot no.	Area in Acres
1	2	3	4	5
Moradabad	.. Moradabad	.. Bhainsia	27	3.25 ✓
			28	1.16 ✓
			30	0.57 ✓
			31	1.73 ✓
			32	1.36 ✓
			33	1.09 ✓
			34	1.04 ✓
			36	0.81 ✓
			37	2.64 ✓
			38M.	3.38 ✓
			39	1.88 ✓
			41	1.01 ✓
			42	1.22 ✓
			43	1.77 ✓
			45	3.91 ✓
			46	0.14 ✓
			316	0.96 ✓
			317	4.98 ✓
			318	1.97 ✓
			320	1.89 ✓

1	2	3	4	5
Moradabad ..	Moradabad ...	Bhainsia ..	322	1.60 ✓
		(Contd.)	323	1.13 ✓
			340	0.59 ✓
			341	1.71 ✓
			342	1.36 ✓
			344	2.31 ✓
			346	0.93 ✓
			347	2.52 ✓
			348	0.92 ✓
			349	2.57 ✓
			350	0.85 ✓
			351	1.32 ✓
			352	0.52 ✓
			355	2.18 ✓
			356	0.56 ✓
			357	4.51 ✓
			361	1.04 ✓
			362	0.52 ✓
			363	1.91 ✓
			370	2.08 ✓
			372	1.38 ✓
			373	3.12 ✓
			319	0.02 ✓
Total			43	72.88 ✓

For what purpose the land is required—For Housing Scheme at Village Bhainsia Tehsil and District Moradabad by the Moradabad Development Authority under a Planned Development Scheme.

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Moradabad/ Land Acquisition Officer, Moradabad.

By order,  
A. K. RASTOGI,  
Secretary.

38 out of 40  
4.58  
Done

**POSSESSION CERTIFICATE.**

Land permanently acquired for Housing Scheme at village Bhainsia  
Tahsil & District Moradabad under Planned Development Scheme.

Certified that on behalf of the District Land Acquisition Officer,  
 Moradabad, have this day the 24-11-02 196, taken possession of the  
 land detailed below comprising an area of 72.81 acres and do hereby  
 give over possession of the same to the Vice Chairman, Moradabad Development  
Authority, Moradabad.

Award No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_  
 Village Bhainsia Pargana Moradabad

District Moradabad

Notification No. 4412/XXXVII-2-32-24LA-82 dated Lucknow September 16,  
 1952

Dated \_\_\_\_\_

Plot No	Area in Acres
27	3.25
28	1.16
30	0.57
31	1.73
32	1.36
33	1.09
34	1.04
36	0.61
37	2.64
38M	3.34
39	1.58
41	1.01
42	1.22

With Moring

Signature (S. L. Goel)

District Land Acquisition Officer  
 Moradabad. Land Acquisition Officer  
 Moradabad.



(Contd  
 over leaf) Certified that I, on behalf of the Moradabad  
Development Authority have taken over  
 possession of the above mentioned land through Zabir Khan

today the 24-11-02 196

Handwritten signature and initials.

Signature (K. S. Negi)  
 Designation Asst. Tahsil Officer  
Moradabad Development  
Authority, Moradabad

उत्तर प्रदेश राजपत्र, 18 सितम्बर, 1982

1	2	3	4	5
Moradabad ..	Moradabad ..	Bhainsia (Concl.) ..	322	1.60 ✓
			323	1.13 ✓
			340	0.99 ✓
			341	1.71 ✓
			342	1.36 ✓
			344	2.31 ✓
			346	0.93 ✓
			347	2.52 ✓
			348	0.92 ✓
			349	2.57 ✓
			350	0.85 ✓
			351	1.32 ✓
			352	0.52 ✓
			355	2.18 ✓
			356	0.56 ✓
			357	4.51 ✓
			361	1.04 ✓
			362	0.52 ✓
			363	1.91 ✓
			370	2.08 ✓
			372	1.38 ✓
			373	1.12 ✓
			374	0.02 ✓
		Total	43	72.81

*For what purpose the land is required*—For Housing Scheme at Village Bhainsia Tehsil and District Moradabad by the Moradabad Development Authority under a Planned Development Scheme.

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Moradabad/ Land Acquisition Officer, Moradabad.

By order,  
A. K. RASTOGI,  
Secretary.

Case No. 11/01-22

# POSSESSION CERTIFICATE.

Land permanently acquired for Housing Scheme at village Bhainsla  
Tahsil & District Moradabad under Planned Development Scheme.

Certified that on behalf of the District Land Acquisition Officer,  
Moradabad, have this day the 24-11-02 196, taken possession of the  
land detailed below comprising an area of 72.81 acres and do hereby  
give over possession of the same to the Vice Chairman, Moradabad Development  
Authority, Moradabad.

Award No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_  
Village Bhainsla Pargana Moradabad

District Moradabad


Notification No. 1413/XXXVII-2-22-24LA-82 dated Lucknow September 16,  
1952

Dated \_\_\_\_\_

Plot No	Area in Acres
27	3.25
28	1.16
30	0.57
31	1.73
32	1.36
33	1.09
34	1.04
36	0.51
37	2.64
38A	3.34 With Housing
39	1.88
41	1.01
42	1.82

Signature (S. L. Gool)

District Land Acquisition Officer  
Moradabad. Land Acquisition Officer  
Moradabad.



Contd  
(over leaf) Certified that I, on behalf of the Moradabad  
Development Authority, Moradabad have taken over  
possession of the above mentioned land through Sahibzad

today the 24-11-02 196

Signature (K. S. Bep)

Designation Sub-Inspector  
Moradabad District  
Development Authority, Moradabad

Handed over  
(initials)

24/11/02

Plot No (Contd)	Area in acres.	
43	1.77	
45	3.91	with Pucca well & Khaj
46	0.14	
316	0.26	
317	4.98	with Pucca well and Khaj
318	1.97	
320	1.89	with Boring
322	1.60	
323	1.13	
340	0.99	
341	1.71	
342	1.36	
344	2.21	
346	0.93	
347	2.52	with Pucca well & Khaj
348	0.02	
349	2.57	with Pucca well & Khaj
350	0.85	
351	1.32	
352	0.52	
355	2.18	
356	0.56	
357	4.51	with Pucca & Khaj
361	1.04	
362	0.52	
363	1.91	
370	2.08	
372	1.38	
373	3.12	
319	0.02	

43 72.81 Acres

अतिरिक्त 24/11/82 को कृषि विभाग  
 को भूमि का 75% भाग प्राप्त हुआ  
 27/5/75 को जमीन का 25% का  
 जमीन का 25% का भाग का 25% का  
 25% का भाग का 25% का

24/11/82  
 सुपरवाइजर का 25% का  
 क्षेत्र का 25% का  
 27/5/75

Dr. Physical  
 24/11/82

24/11/82  
 PDA





उपरोक्त प्रकरण में कार्यालय अज्ञान का आस्था के अनुसार वेडों के मुद्दाओं हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20-0-92 को जिनका जमाना प्राधिकारी सुरदासबाब को भेजा जा चुका है। यदि नए को का अर्थ का एम्प्लॉय का ए-4818 के दिनांक से ही का होता है। तो बाद में अतिरिक्त अभिनिर्णय अर्ज निम्न से धारणा का माय के एम्प्लॉयत किया जाएगा। क्योंकि कबो के प्रमाण पत्र में वेड आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः चूंकि इस प्रकरण में अभिनिर्णय को धारणा का भूमि अध्यापित अधिनियम का समय लागू के अन्तर्गत नए का मर्ग है। माननाय सार्वजनिक न्यायालय के आदेश के अनुसार में 2 मातादेव सख्या-6-28 18/93-202-रा-13 लागू दिनांक 20-11-93 के तारतम्य में यह समय लागू कबो अर्ज निम्न के दिनांक 24-11-02 को हस्तांतरण कर दिये जाने के कारण चिपौजित है। तथा शर्मा आनंदरामद भा विभाग के नाम दिनांक 20-4-08 को ही चुका है। भू-स्वामियों को भूमि अध्यापित अधिनियम के अर्जित प्रसिद्ध पर देय अथ लाभों में प्रकरण दिनांक 22-11-02 से 23-4-07 तक माननीय उच्च न्यायालय अज्ञात आदि में विधायक होने के कारण इस मध्यंतर देय 12 प्रसिद्ध अतिरिक्त प्रतिकूल एवं देय च्याज का लाभ देय नहीं होगा। चूंकि स्वयं भूस्वामियों का रा माननीय न्यायालय में अध्यापित के विरुद्ध वाद चिपौजित किये गये थे।

उपरोक्तानुसार प्रसिद्ध मु० 34,10,495-07से तथा 30 प्रसिद्ध मानेरियम मु० 10,23,140-5अथवा 12 प्रसिद्ध अतिरिक्त प्रतिकूल मु० 1,051-00 से तथा च्याज मु० 0,30,20-01को हस्तांतरण आदेश के दिनांक को अतिरिक्त प्रसिद्ध होता है। निम्न विवरण नम्बर-11 पर अर्जित किया जाएगा। चिपौज-पत्रों का विवेचन मूल अभिनिर्णय दिनांक 24-10-86 के अनुसार ही इस अभिनिर्णय के साथ पढ़ा जायेगा।

विभाग एजायत मुक्त के रूप में मु० 19,726-40से तथा लागत व्यय के रूप में मु० 45,155-00वये शासनाय को-1 में जमा करेगा।

ग्राम-भोसिया सख्या 31-21 एफड का उपरोक्त अभिनिर्णय आज दिनांक 30/9/95 को जने न्यायालय में पढ़कर धारणा किया गया।

*(Signature)*  
 निम्न भूमि अध्यापित अधिकारी,  
 सुरदासबाब।

-धारा-68 18 का प्रकारान दिनांक 18-9-82 को राजपत्र गजट में हो चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम को धारा-23 के अन्तर्गत अध्याप्ति धारा-68 18 के प्रकारान के बाद भूस्वामियों को अधिनियम को धारा-98 18 19 20 के अन्तर्गत विशेषण एवावा सामान्य नोटिफ दिनांक 8-11-82 को जारी किये गये। भूमि अध्याप्ति अधिनियम का लागू होनेवाली स्थिति पूर्ण कर भूमि का दखल विभाग को दिनांक 24-11-82 को हस्तांतरित कर दिया गया। वृत्ति वरु प्रकरण में 31-21 एकड़ भूमि में प्रभावित कृषाफी द्वारा भूमि अध्याप्ति का कार्यवाही को अक्षेधानिक मानने हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाये दाखर की। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-82 को स्थगन आदेश प्रदान कर दिये जाने के तत्पश्चात् 41-60 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24-10-86 को घोषित कर दिया गया था। न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित 31-21 एकड़ भूमि के अभिनिर्णय घोषित होने के तत्पश्चात् दिनांक 24-10-86 को 41-60 एकड़ के घोषित अभिनिर्णय में यह उल्लिखित था कि विवादित 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22-11-82 में न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने के बाद अक्षेधान 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय उपरोक्त 41-60 एकड़ के अभिनिर्णय में लागू दरो के आधार पर ही घोषित किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-82 के स्थगन आदेश दिनांक 23-4-87 को निरस्त कर दिये गये। अतः मूल अभिनिर्णय दिनांक 24-10-86 के तारतम्य में उपरि अभिनिर्णय घोषित किया जाता है।

31-21 एकड़ भूमि में गोलत संख्या-31672 संख्या 4-70, 31 संख्या 2-60, 42 संख्या 1-22, 341 संख्या 1-71, 342 संख्या 1-36, 302 संख्या 4-2, 37 संख्या 2-64, 355 संख्या 2-18, 30 संख्या 4-57, 33 संख्या 1-09, 317 संख्या 4-98, 34 संख्या 1-04, 319 संख्या 4-02, 370 संख्या 2-03, 323 संख्या 1-13, 31 संख्या 1-13, 36 संख्या 4-01, 38 संख्या 1-88, 363 संख्या 1-91 एकड़ कुल 20 फीसद कुल संख्या 31-21 एकड़ भूमि अर्धन में प्रभावित है। उपरोक्त 41-60 एकड़ के घोषित अभिनिर्णय के दिनांक 24-10-86 में धरुधर लागू की गई दरो के आधार पर 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय प्रमाणित होता है-

संख्या	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दर प्रति मीटर	कुल मूल्य
संख्या 5-62	41.45	2-61	17-31	1,98,244-60
संख्या 4-87	5.70	6-07	15-00	85,591-05
संख्या 11-25	48.27	9-05	34-65	16,72,869-48
संख्या 9-12	10.85	4-92	37-00	12,07,952-34
संख्या 7-00	2.95	4-21	21-56	63,692-77
संख्या 2-75	12.05	9-64	18-47	1,02,145-15
कुल			1.26,302.50	34,10,495-07

30/9

- |  |   |
|--|---|
| 1- बांध संख्या-                                      | आ०-२६   |
| 2- ग्राम/परगना/जम्माद का नाम                         | भोसिया, मुरादाबाद, मुरादाबाद ।  |
| 3- अंशित क्षेत्रफल                                   | १७२-०।६५७ नोटिफाईड<br>३।२१ एअर का प्लॉट ।   |
| 4- क्या भूमि जमादारा विन्यास-<br>क्षेत्र में है ।    | हां   |
| 5- क्या धारा-१७ लागू है                              | हां   |
| 6- अर्जन निष्ठा का नाम                               | मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।  |
| 7- अर्जन का प्रयोजन                                  | जिला-मुरादाबाद में सुनिश्चित विकास योजना<br>अर्थात् मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादा-<br>बाद ग्राम-भोसिया तहसील-मुरादाबाद, मुह-<br>निर्मण योजना के अर्जागत स्थाई रूप से भूमि<br>अर्जन । |
| 8- विक्रित धारा-४१।१ का संख्या-<br>दिनांक            | संख्या-२०४३/३७-२-८२-२४एनएए-०२ दिनांक<br>०-९-८२ प्रकारान दिनांक ०-९-८२ ।   |
| 9- विक्रित धारा-४१।१ का संख्या/<br>दिनांक -          | संख्या-४४१२/३७-२-८२-२४एनएए-०२ का १०-९-<br>प्रकारान दिनांक १०-९-८२ ।   |
| 10- कब्जे का दिनांक-                                 | २४-११-८२  |
| 11- अभिनिर्णय का दिनांक-                             | ३०-९-९५   |
| 12- अमानित प्रतिकर का धारासिं                        | धारा १७ पर अर्जन निष्ठा से उपलब्ध है ।  |
| 13- आरोपित योग्य प्रतिकर-                            | ५-१।५ पर तो - रू० १५००००<br>अर्जागत दर से - ३४,१०,४९५-०७<br>५-३०२ सोनेरी का - १०,२३,१४०-३२<br>अ- १२ अर्जागत प्रतिकर ३१,८७,१-०६  |
|  | <hr/> योग- ४६,१५,४९५-४७ <hr/>   |
| 14- पूंजित मूल्य-                                    | देय भू-राजस्व के ४० गुने के बराबर की धारासिं<br>अर्जन निष्ठा से वसूल करने के अर्ध उचित मद में<br>आ कर दा जायेगा । जो कि मु० १९,७३०-४०<br>होगा ।   |
| 15- अतिरिक्त प्रतिकर-                                | धारा-४१।१ के प्रकारान दिनांक ०-९-८२ से<br>कब्जे के दिनांक २४-११-८२ तक १२ प्रतिशत जादे<br>दर से देय होगा ।   |
| 16- व्याज की धारासिं-                                | ८,३२,३०-०१  |
| 17- लागत व्यय की धारासिं -                           | ४६,१५५-००   |
| 18- क्या भूमि समतल एवं आसिं<br>भावित क्षमता रखती है- | हां ।   |

अभिनिर्णय का औचित्य

उत्सृत बांध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद ग्राम-भोसिया  
परगना/तहसील/जिला-मुरादाबाद में ७२-०।६५७ का धारा-१७।१ के प्राधिकृत लागू व  
हेतु प्रस्तुत किया गया । जिसमें विक्रित धारा-४१।१ का प्रकारान दिनांक ०-९-८२ तक

*Signature*  
३२७

-धारा-68 18 का प्रकारान दिनांक 18-9-82 को राज्याय गजट में हो चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम को धारा-23 के अन्तर्गत अध्याप्ति धारा-68 18 के प्रकारान के तहत भूस्वामियों को अधिनियम को धारा-98 18 19 के अन्तर्गत विशेषण अथवा सामान्य नोटिफ दिनांक 2-11-82 को जारी किये गये। भूमि अध्याप्ति अधिनियम का समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर भूमि का दखल विभाग को दिनांक 24-11-82 को हस्तान्तरित कर दिया गया। वृत्ति इस प्रकार में 31-21 एकड़ भूमि में प्रभावित क्षेत्रों द्वारा भूमि अध्याप्ति का कार्यवाही को अर्द्धधार्मिक मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दाखल की। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-82 को स्थगन आदेश प्रदान कर दिये जाने के तत्पश्चात् 41-60 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24-10-86 को घोषित कर दिया गया था। न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित 31-21 एकड़ भूमि के अभिनिर्णय घोषणा के तत्पश्चात् दिनांक 24-10-86 को 41-60 एकड़ के घोषित अभिनिर्णय में यह उल्लिखित था कि विवादित 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22-11-82 में न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने के तहत अर्द्धधार्मिक 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय उपरोक्त 41-60 एकड़ के अभिनिर्णय में लागू दलों के आधार पर ही घोषित किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-82 के स्थगन आदेश दिनांक 23-4-87 को निरस्त कर दिये गये। अतः नूतन अभिनिर्णय दिनांक 24-10-86 के तारतम्य में उपर्युक्त अभिनिर्णय घोषित किया जाता है।

31-21 एकड़ भूमि में गजट संख्या-316/2 सख्या 4-96, 21710 सख्या 4-70, 33 सख्या 2-60, 42 सख्या 1-22, 341 सख्या 1-71, 342 सख्या 1-36, 302 सख्या 4-52, 37 सख्या 2-64, 355 सख्या 2-18, 30 सख्या 4-57, 33 सख्या 1-09, 317 सख्या 4-90, 34 सख्या 1-04, 319 सख्या 4-02, 370 सख्या 2-00, 323 सख्या 1-13, 31 सख्या 1-13, 96 सख्या 4-01, 8 सख्या 1-88, 263 सख्या 1-91 एकड़ कुल 20 फीसद कुल सख्या 31-21 एकड़ भूमि अर्जन से प्रभावित है। उपरोक्त 41-60 एकड़ के घोषित अभिनिर्णय के दिनांक 24-10-86 में धरणी लागू का गजट दलों के आधार पर 31-21 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाता है-

संख्या	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल
सोमट दोयम	5-82	41,452-61	17-31	1,98,244-60
सोमट अक्षय	4-87	3,706-07	15-00	85,591-63
सोमट अक्षय	11-25	48,279-05	34-63	16,72,869-48
सोमट दोयम	9-12	40,854-92	24-03	12,37,932-34
सोमट अक्षय	7-00	2,934-21	21-56	63,692-77
सोमट दोयम	2-75	12,059-64	8-47	1,02,145-12
कुल				34,13,495-07
अर्द्धधार्मिक 31-21 एकड़				

*[Handwritten signature]*  
30/9

नवीन बंधन - 45958 = ...

भूमि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार 30 प्रतिशत को दर से सॉलेशियन स्पेस 14,40,931-42 पर सक्स्टीट्यूट किया जायेगा।

नतीजतन अधिनियम 1974 के अंतर्गत धारा 3 के दिनांक से कले के दिनांक अथवा एवाड का तिथि तक जो दिनांक पहले होगी 12 प्रतिशत को दर से अतिरिक्त मुक्तिपत्र भी देय होगा।

अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कृषक कले के दिनांक से मुक्तिपत्र के प्रथम वितरण के दिनांक तक प्रथम एक वर्ग में 9 प्रतिशत तथा बाद को 15 प्रतिशत की दर से लाज भी देय होगा।

10/11/86

लागत

अर्जन विकास से मुक्तिपत्र की धारणा का 10 प्रतिशत लागत व्यय के रूप में समूल करके जमा कर दिया जायेगा  $40 \times 630771 = 25,230,840$ ।  
वहन करोगा  $114075 \times 40 = 4595000$ ।

उपरोक्त दरें इकित् भाविक धारणा रखती है अतः 25 प्रतिशत की कटौति करने के बाद ही निकाले गये है।

समस्त भू स्वामियों को उनके मुक्तिपत्र की धारणा का वित्त पामि-ए पर वक्त करके प्रदर्शित किया जायेगा।

जिन भू स्वामियों को 2/3 भाग की धारणा का वितरण किया जा चुका है उन्हें 2/3 कम करके भुगतान किया जायेगा।

हरि नाथ

आड, 16/11/86 विक्रम भूमि अध्यापित अधि  
को भूमि अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत  
को 1/3 भाग का अंश /

विशेष भू अध्यापित अधिकारी  
(संयुक्त संघ) मुंबई

एक प्रार्थना पत्र पर प्रमाणित जाति की गई थी। का निरधारण किया गया कि पर विवाद प्रारंभिकता मुदा जाद शरत निमोर्ण का पूर्ण था म कल है । 23 म वा सव में रेलवे चालन के एकट राष्ट्रीय मार्ग 24 दि का बरती , लखाऊ मार्ग परी स्था है। प्रार्थना का यह भी है कि चलावा मतरा का दर 395 साथे का मोटर की दर से ही जाने चाा फल नहीं है । अतः अपादिता निरस्त की जाती है ।

विकास प्राधिकरण द्वारा 72/01 एकट नि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें से 31-21 एकट अर्थात् 26306.87 कमीटर में विभिन्न भूस्वामियों के उच्च न्यायालय मुदा जाद में रिट याचिकाये सहाय विभाग दिने जाते के बाद दावेका की है । और उन पर स्थल सादर है अतः इन समय 41-60 एकट अर्थात् 167355.20 का मोटर का अधिप्राया पारित किया जाता है । शेषका मान्य उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हो जाने पर पारित किया जायेगा । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जो दरें 41-60 एकट में दी जा रही है वही दरें शेष 31-21 का एकट में निष्पत्तिके बाद दीय होगी ।

भूमि के मुदाका के कार्र धारा 23 के अंतर्गत के किया जाना पुलिस एवं वाक्पत्र कि कपिप्रा भूमिका बाजारों कोगत जाननेके निगे प्रमाणित होने के नामों का विवरण मम रजिस्ट्रार कायानिधि को प्रस्तुत करलिये जाये । इसके लिये कायानियके अमान को मम रजिस्ट्रार कायानिधि में नामों के विवरण उपलब्ध कराने लिये निम्नलिखित विधायक 39 विधायक निष्पादन होने की रिपोर्ट दी है कि गुंग भूमि में वर्ष 1982 में निम्न प्रकार किया जाता है :-

परिशिष्ट-2 के क्रमांक 1, 2, 3, 4, 8, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37 से 39 पर अधिक विक्रयपत्र अध्यापित की जाने वाली भूमि को सहाय मुदा रिस्त है । इस कारण इन विक्रयपत्रों पर निष्पादन विचार किया जाता है न्यायालय नहीं करता । इस कारण इन नामों को विचार के नामा भुजने के निरस्त करता है ।

परिशिष्ट-2 के क्रमांक 5, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20 पर अधिक विक्रयपत्र अध्यापित की जाने वाली भूमि की सीमा से बाहर है । कि अधिक की जाने वाली भूमि के सहाय प्रयापित नामों निम्नलिखित नामों मानने के लिए बाजार के नामों माने जा सकती है । इस कारण सीमा से बाहर होने वाले नामों पर विचार करके भूमि का पट्टी मुदाकिन नहीं हो सक्ता । इस कारण इन विक्रयपत्रों को भी निरस्त करता है ।

क्रमांक 12 से 19 पर अधिक विक्रयपत्र अचित क्षेत्र के नामों पर अधिप्राय की जाने वाली भूमि तथा नामों की भूमि को एकराता न नहीं करे । अतः इनके भी निष्पादन मानने से निरस्त करता है ।

क्रमांक 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

